

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ

कर्मोक्त: एफ. 1 (16) सामान्य/आईसीडीएस/16 21/06/2016 जयपुर,दिनोक्त: 1/6/16

जिला कलेक्टर,
समस्त।

विषय: 1 जुलाई, 2016 को ऑगनबाडी केन्द्रों पर प्रवेशोत्सव व खिलौना बैंक स्थापना कार्यक्रम के साथ-साथ वृक्षारोपण कराने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आपकी जानकारी में हैं, 1 जुलाई, 2016 को जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में राज्य के समस्त ऑगनबाडी केन्द्रों पर 03-06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का प्रवेशोत्सव व खिलौना बैंक स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रवेशोत्सव व खिलौना बैंक स्थापना कार्यक्रम में जिला प्रशासन के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जनसमुदाय का भी ऑगनबाडी केन्द्रों पर आना अपेक्षित है। जन समुदाय एवं विशेष रूप से बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित करने के उद्देश्य से प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के समापन पर प्रत्येक ऑगनबाडी केन्द्र पर अथवा निकटस्थ स्थान पर वृक्षारोपण का निर्णय लिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि वृक्षारोपण हेतु स्थानीय जलवायु के अनुसार जनसहयोग, स्वयंसेवी संस्थाओं, वन विभाग अथवा अन्य किसी नर्सरी से केन्द्र पर नीम, शीशम, पीपल, बड आदि फलदार एवं छायादार पौधे उपलब्ध करवाने एवं पंचायतीराज विभाग एवं वन विभाग के सहयोग से ऑगनबाडी केन्द्रों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम की व्यवस्था करावें।

ऑगनबाडी कार्यकर्ता केन्द्र पर दिनोक्त 29-30 जून 2016 तक वृक्षारोपण हेतु पौधा ऑगनबाडी केन्द्र पर लाकर रखेंगी और गड्ढा तैयार करवाकर उसमें खाद आदि मिलाकर वृक्षारोपण की पूर्व तैयारियां करेंगी एवं 1 जुलाई, 2016 को प्रवेशोत्सव व खिलौना बैंक स्थापना कार्यक्रम की समाप्ति पर ऑगनबाडी केन्द्रों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करेंगी।

(डा. समित शर्मा)

निदेशक,

समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर

कर्मोक्त: एफ. 1 (16) सामान्य/आईसीडीएस/16 21/06/2016 जयपुर,दिनोक्त: 17/6/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
4. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, समस्त।
6. कम्प्यूटर प्रशाखा को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(आई.सी.डी.एस.),

समेकित बाल विकास सेवाएँ,

राजस्थान, जयपुर